मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/4469/ पंचा/ GPDP /2016/ भोपाल, दिनांक 13/04/2016

प्रति,

1. कलेक्टर
   जिला – समस्त (मध्यप्रदेश)
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जिला पंचायत –समस्त (मध्यप्रदेश)
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी
   जनपद पंचायत – समस्त (मध्यप्रदेश)

विषय : ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP)प्रकिया अंतर्गत रिसोर्स एनवलप के निर्धारण के संबंध में।

आप अवगत है कि प्रदेश की समस्त पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास (GPDP)योजना तैयार करने की प्रकिया प्रचलित है तथा दिनांक 14 अप्रैल 2016 से दिनांक 31 मई 2016 तक आयोजित किये जा रहे **"ग्राम उदय से भारत उदय"** अभियान अवधि में इस ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) को अंतिम रूप दिया जाना लक्षित किया गया है। इसी प्रकिया में ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाली समस्त राशियों तथा अन्य संसाधनों को एकजायी कर **"रिसोर्स एनवलप"** नाम से संबोधित किया गया है । प्रमुख रूप से रिसोर्स एनवलप में निम्न राशियॉ एवं संसाधन सम्मिलित हो सकते हैं –

1. पंच–परमेश्वर (14 वां वित्त , राज्य वित्त)से प्राप्त होने वाली राशि।
2. पंचायत की स्वयं की आय। (कर, फीस, किराया आदि)
3. मनरेगा अंतर्गत लेबर बजट अनुसार व्यय होने वाली अनुमानित राशि।
4. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता हेतु प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि।
5. इंदिरा आवास योजना अंतर्गत संभावित हितगाही संख्या ।
6. ग्रामीणजन द्वारा स्वेच्छा से प्रदत्त दान राशि।
7. पंचायतों के अन्य स्त्रोत
8. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं तथा कार्यकमों के वह घटक जो ग्राम पंचायत क्षेत्र में कियान्वित होते है उनका आंकलित लाभ या राशि।

उक्त में से कमांक02 से कमांक08 तक प्राप्त होने वाली संभावित राशियों का आंकलन ग्राम पंचायत द्वारा स्वंय किया जाना है। आंकलन करते समय विगत वर्षो में प्राप्त एवं व्यय हुयी राशि को आधार माना जा सकता है।**जबकि कमांक1 पर अंकित पंचपरमेश्वर योजनांतर्गत 14 वें वित्त आयोग मद में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2019-20 तक ग्राम पंचायतों को प्राप्त होने वाले मूल अनुदान की अनुमानित राशि की गणना की जाकर प्रत्येक जिले की, ग्राम पंचायतों**

Scanned by CamScanner

को प्राप्त होने वाली अनुमानित राशि की सूची जनपद पंचायतवार तैयार कर पी.डी.एफ फाइल में ईमेल के माध्यम से संलग्न प्रेषित है। यह जानकारी पंचायत दर्पण पोर्टल पर भी उपलब्ध होगी।

यह उल्लेखनीय है कि पंचपरमेश्वर योजना के अन्य घटक जैसे राज्य वित्त आयोग, मुद्रांक शुल्क तथा खनिज रायल्टी आदि से प्रतिवर्ष उक्त सूची में उल्लखित राशि के अतिरिक्त लगभग 30 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायतों को प्राप्त होना भी संभावित है। तदनुसार ग्राम पंचायत कों आंकलित राशि तथा ग्राम पंचायत विकास योजना में कार्य लिये जाने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें।

संलग्न – ग्राम पंचायत वार अनुमानित राशि की सूची

(अलका उपाध्याय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक/4474/ पंचा/ GPDP /2016/ **भोपाल, दिनांक 13/04/2016**

1. **विशेष सहायक**, माननीय मंत्री, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग।
2. **सचिव,** भारत सरकार, पंचायतीराज मंत्रालय, भारत सरकार।
3. **आयुक्त**, म.प्र. पंचायत राज संचालनालय ।
4. **संभागीय आयुक्त** , संभाग – समस्त, मध्यप्रदेश।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

Scanned by CamScanner